23/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अन्य पत्रावली में पालना रिपोर्ट हेतु जमानती की प्रति का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि रिट्स निर्णय 23/4/2022 की पालना हो चुकी है। ऐसे में प्रार्थना पत्र ईश्वर्य को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ईश्वर्य पालना पूर्ण होने से खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो कर डिस्पोज शुमार हो कर फाईल किया जावे।

रिट्स आज निर्णय 23/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:45:45 IST
Reason: SelfAttested